कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, पिथौरागढ़।

पत्रांक 15 / ( ) / 2024–25 / आयोजन / 2024–25 दिनांक 29 अक्टूबर, 2024।

सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी,

कनालीछीना।

1. माननीय विधायक विधान सभा क्षेत्र डीडीहाट की विधायक निधि वर्ष 2024–25 में निम्न योजनायें प्रस्तावित की गयी हैं। जिसकी कार्यदायी संस्था आपको नामित किया गया है। इस क्रम में अवगत कराना है कि विधायक निधि योजना के आवंटन / स्वीकृति / टेण्डर प्रक्रिया / सुदृढ़ात्मक कार्य इस कार्यालय में आपको नामित किया गया है। इस क्रम में अवगत कराना है कि विधायक निधि योजना के आवंटन / स्वीकृति / टेण्डर प्रक्रिया / सुदृढ़ात्मक कार्य इस कार्यालय में एक माह के भीतर समाप्त करायें अथवा अधिक प्रस्तावित स्वीकृति / आवंटन आपकी योजनाओं की अन्तर्गत अनुमन्य की जा सकें। इस सम्बन्ध में मंत्रिमंडल सचिवालय उत्तराखण्ड के पत्रांक 537 / XI / 07–01(01)/2006 दिनांक 27.07.2007 से प्राप्त निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2. प्रस्तावित योजनायें सख्त पूर्ण रूप से उपयोगी [illegible] मूल्य व मात्रात्मक विशिष्टताओं की सटीकता ही उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2007 के अनुसार क्रय की जायेगी, सामग्री क्रय [illegible] सामग्री के मूल्य व गुणवत्ता का बाजार सर्वे करते हुए पूर्ण रूप से मानकों के अनुरूप होने पर ही कार्यालय / गुणवत्ता कार्य इस कार्यालय को उपलब्ध [illegible] सुनिश्चित करें। यदि सामग्री क्रय उपरान्त बचत शेष होती है, तो इस कार्यालय को [illegible] के अनुसार मा0 विधायक को अवगत [illegible] जायेगा।

3. निर्माण कार्य के समय–समय पर आवश्यकतानुसार [illegible] लेकर लेखों का पर्यवेक्षण किया जाय।

4. इसके साथ ही अवगत कराना है कि वर्ष 2017–18 से [illegible] निधि के अन्तर्गत धरातल कार्यों को Geotagging कराई जानी अनिवार्य है। [illegible] वित्तीय वर्ष में स्वीकृति कार्य उसी वर्ष में पूर्ण रूप से [illegible] आवश्यक है। वित्तीय वर्ष में कार्य पूर्ण न होने, पर अथवा धनराशि खर्च न होने पर [illegible] की जिम्मेदारी होगी।

5. [illegible] विधानसभा में विधायकों मान्यता प्राप्त [illegible] भी आगणन के साथ प्रस्तुत करें।

6. [illegible] सख्त रूप से सुनिश्चित करें कि [illegible] अन्य मद से धनराशि स्वीकृत नहीं है।

7. [illegible] / [illegible] हेतु स्वीकृत कार्य [illegible] / [illegible] [illegible] में हो कराये जाय तथा [illegible] / [illegible] [illegible] निवास का प्रमाण भेजे भी आगणन के साथ प्रस्तुत किया गया।

8. [illegible] के निर्माण / कार्य विलम्ब होने की स्थिति में तत्काल अशोधनाधारी को अवगत कराना होगा।

9. [illegible] के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

10. [illegible] कराने से पूर्व का मानचित्र का सम्बन्धित [illegible] की उपस्थिति में किया गया है, आगणन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

11. योजना के अन्तर्गत कोई भी निर्माण कार्य किसी भी स्थिति में व्यक्तिगत भूमि में न किया जाये।

12. आगणन [illegible] कराते समय कार्य सम्बन्धित होने की स्थिति में कार्यस्थल की भूमि संबंधी अनिवार्यता की प्रमाणित प्रति (जिससे यह प्रमाणित हो सके की प्रस्तावित कार्य निजी भूमि पर नहीं किया जा रहा है) भी आगणन के साथ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

13. [illegible] करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि इस पत्र द्वारा स्वीकृत कार्य पूर्व में किया अन्य योजना / विभाग द्वारा यह कार्य नहीं कराया गया है / कराया जा रहा है। यदि कार्य पूर्व से किया गया है अथवा किया जा रहा है तो धनराशि अपव्यय प्रेषित की जाय तथा योजना यदि स्वविवेकाधीन योजनाओं के नाम हेतु प्रस्तुत होती है तो निर्माण कार्य सम्पादित न किया जाय।

14. विधायक निधि अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों में किसी भी प्रकार का कम हेतु अधिप्राप्ति नियमावली का पूर्ण पालन करना सुनिश्चित किया जाएगा तथा सोलर लाइट कार्य में गुणवत्ता / रख–रखाव इत्यादि उपरान्त नियमानुसार किया जाएगा। उक्त योजनाओं में सामाजिक ऑडिट (CAG/AG) Audit कराने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।

क्र0 सं0	प्रस्तावित कार्य का नाम	विकास खण्ड	मात्राकृत योजना	वर्ष	स्वीकृत धनराशि लाख रु0	मा0 विधायक द्वारा संस्तुति कार्यदायी संस्था
1	2	3	4	5	6	7
1	[illegible] में अवरोध से कटे जाने वाले मार्ग का निर्माण कार्य	कनालीछीना	सामान्य	2024-25	1.00	विकास खण्ड कनालीछीना
2	[illegible]	कनालीछीना	सामान्य	2024-25	1.50	विकास खण्ड कनालीछीना
3	[illegible]	कनालीछीना	सामान्य	2024-25	1.50	विकास खण्ड कनालीछीना
4	[illegible]	कनालीछीना	सामान्य	2024-25	2.00	विकास खण्ड कनालीछीना
5	[illegible]	कनालीछीना	अ0जा0	2024-25	1.50	विकास खण्ड कनालीछीना
6	[illegible]	कनालीछीना	सामान्य	2024-25	2.00	विकास खण्ड कनालीछीना
7	[illegible]	कनालीछीना	सामान्य	2024-25	2.50	विकास खण्ड कनालीछीना
8	[illegible]	कनालीछीना	सामान्य	2024-25	2.00	विकास खण्ड कनालीछीना
9	[illegible]	कनालीछीना	सामान्य	2024-25	2.00	विकास खण्ड कनालीछीना
10	[illegible]	कनालीछीना	सामान्य	2024-25	2.50	विकास खण्ड कनालीछीना
11	[illegible]	कनालीछीना	सामान्य	2024-25	3.00	विकास खण्ड कनालीछीना
	कुल				21.50	

टिप्पणी– 1. आगणन कार्यों की स्थिति में आगणन उपलब्ध कराते समय पूर्व के कार्यों की उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायें।

2. [illegible] उपलब्ध कराना।

ह0 / –

(डी0 दीपक रोनी)

मुख्य विकास अधिकारी

पिथौरागढ़।

प्रतिलिपि– मुख्य विकास अधिकारी महोदय पिथौरागढ़ को सूचनार्थ प्रेषित।

[illegible]

[illegible]